<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।</u>
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1171/2026
(CNR No.UPBH01003358–2026)

परशुराम उम्र 55 वर्ष पुत्र दुलारे, निवासी–आसमानपुर, थाना–रामगांव, जनपद–बहराइच।
---आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र० राज्य--- ---अभियोजन पक्ष।

एवं
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1185/2026
(CNR No.UPBH01003369–2026)

1. दिलीप उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र विश्वनाथ,
   निवासी–चौबे चौराहा, दा०–बांसगढ़ी, थाना–खैरीघाट, जिला–बहराइच।
2. लालता उम्र करीब 50 साल पुत्र सुन्दरलाल,
   निवासी–बांसगढ़ी, थाना–खैरीघाट, जिला–बहराइच।

--- आवेदक/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र० राज्य--- ---अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–108/2026,
धारा–305A, 331(4), 317(2), 318(4), 341(2)बी०एन०एस०,
थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

<u>02.06.2026</u>

थाना–कैसरगंज, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–108/2026, अन्तर्गत धारा–305A, 331(4), 317(2), 318(4), 341(2) बी०एन०एस० में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तगण परशुराम तथा दिलीप व लालता की तरफ से उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र क्रमशः शपथिनी लीलावती व शपथी रामनरेश के शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही अपराध संख्या एवं घटना से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों को एकीकृत किया जाता है तथा जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1171/2026 अग्रणी रहेगा।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–25.05.2026 को निरस्त किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया है कि यह सत्र न्यायालय में उनका

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.06.02 12:06:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। उनका कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो दिया गया है और न तो लम्बित है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी व थाने की आख्या का सम्यक् अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अरविन्द कुमार सिंह के घर में दिनांक–25.04.2026 को भतीजी का विवाह था। वह तैयारी में लगा हुआ था, परन्तु दिनांक–22/23.04.2026 की रात 01:00–02:20 बजे के अन्दर अज्ञात चोरों घर में घुसकर रखा सामान 50,000–60,000/–रुपये नगद, लड़की के जेवर दो जोड़ी चांदी की पायल, दो जोड़ी बिछुवा, गले का हार, मंगलसूत्र, कान का झुमका, एक सोने की अंगूठी व लड़की के मंहगे कपड़े, जिनकी कीमत लगभग 30,000/–रुपये होगी, आदि चुरा ले गये।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–23.04.2026 को समय–18:19 बजे एक अज्ञात के विरुद्ध अपराध संख्या–108/2026, धारा–305(a), 331(4) बी०एन०एस० में थाना–कैसरगंज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त चोरी के जेवरात, रुपये व नम्बर प्लेट बदलकर चोरी में प्रयोग की जा रही मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिसके आधार पर मामले में धारा–317(2), 318(4), 341(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचनोपरान्त उपरिवर्णित धाराओं में आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त परशुराम के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि दिनांक–09.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त कैसरगंज बाजार में घरेलू सामान व कुछ कपड़े खरीदने के लिये गया था और वह करीब सायं 06.30 बजे दारू पीकर थाने की तरफ से निकला रास्ते में पुलिस वाले चेकिंग लगाये थे। उसको अपने तरफ बुला लिया और डाटने लगे, तो उसने केलव इतना कह दिया कि कमाता हूँ, तब पीता हूं, इसी बात पर उसके व पुलिस वालों के बीच बात–विवाद होने लगा और पुलिस वाले उसको थाने बुला लाये तथा उसे पास रखे हुए 9,000/–रुपये ले लिया। उसके यह कहने पर कि उसके कई मित्र पत्रकार है, वह इस बात को पेपर में निकलवा देगा। पुलिस वाले 24 घण्डे थाने पर बैठाने के बाद उक्त मुकदमे में चालान कर दिये। वह न तो मौके पर पकड़ा गया है और न तो उसके पास से कोई बरामदगी है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित मुल्जिम नहीं है। उसकी शिनाख्त वादी द्वारा नहीं कराई गई है। वह दिनांक–11.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जायें।

आवेदक/अभियुक्त दिलीप व लालता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक–09.05.2026 को कैसरगंज रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होकर सायं करीब 07.30 बजे मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे। वहीं पर कैसरगंज बाजार के निकट पुलिस वाले चेकिंग लगाये थे। पुलिस वाले उनको रोक लिये और कागज इत्यादि की जांच करने लगे। उनके पास सारे कागजात मौजूद थे, लेकिन आवेदक/अभियुक्तगण दारू के नशे में थे, इसी बात को लेकर पुलिस वाले गाली–गुप्ता देने लगे, तो उन्होंने इसका विरोध किया और आपस में कहासुनी होने लगी। इसी बात से पुलिस वाले चिढ़कर उनको अपने साथ थाने पर ले आई और नाजायज रुपयों की मांग करने लगी। उनको करीब 2 दिन तक थाने पर बैठाये रहे और रुपये न दे पाने पर इस अज्ञात चोरी के मुकदमे में फर्जी बरामदगी दिखाकर उनका चालान कर दिया। उनको न तो मौके पर पकड़ा गया है और न ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई है। उनके गिरफ्तारी के समय का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं हैं। वे निर्दोष हैं। घटना के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उन पर लगी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय

हैं। वे दिनांक–11.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जायें।

राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में वादी के घर में घुसकर 50,000–60,000/–रुपये नगद, दो जोड़ी चांदी की पायल, दो जोड़ी बिछुवा, गले का हार, मंगलसूत्र, कान का झुमका, एक सोने की अंगूठी व लड़की के 30,000/–रुपये के कपड़े की चोरी की। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उक्त चोरी के जेवरात, रुपये व नम्बर प्लेट बदली मोटरसाइकिल बरामद किये गये। उक्त बरामद मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट धोखाधड़ी व जालसाजी से बदलकर उसको आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग कर रहे थे। विवेचनोपरान्त उपरिवर्णित धाराओं में आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है। कोई साक्ष्य संकलित होना शेष नहीं है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की गई, तो उनके द्वारा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् गवाहों को डराने, धमकाने, जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल भाग जाने की सम्भावना है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि में वादी के घर में घुसकर सोने, चांदी के जेवरात व रुपयों की चोरी की। घटना दिनांक–23.04.2026 के लगभग 17 दिन उपरान्त दिनांक–10.05.2026 को दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त परशुराम की जामा तलाशी से 2,300/–रुपये, आवेदक/अभियुक्त दिलीप की जामा तलाशी से 3,800/–रुपये व चार जोड़ी बिछिया नग लगी सफेद धातु तथा आवेदक/अभियुक्त लालता की जामा तलाशी से 2,700/–रुपये, एक जोड़ी पायल घूंघरूदार सफेद धातु बरामद की गईं। अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से नम्बर प्लेट बदली दो अदद मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। बरामदशुदा रुपयों व जेवरातों की कोई शिनाख्त नहीं कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुलिस आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक–11.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र तैयार किया जा चुका है। कोई साक्ष्य संकलित होना शेष नहीं है।

अतएव मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अतः आवेदक/अभियुक्तगण परशुराम, दिलीप व लालता की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाते हैं। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक को 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. आवेदक/अभियुक्तगण मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं

करेगें, साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

4. अभियुक्तगण उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का अभियुक्तगण पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

5. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1185/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id. No.–UP2017

दिनांक–02.06.2026